केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

तारीख : 5 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

सं.एल–1/144/2013–केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 23क के सिवाय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

(3) विनियम 23क 1.6.2015 से प्रवृत होगा और जबतक कि इसे आगे न बढ़ाया जाए, वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए लागू होगा।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (7) के अधीन परंतुक (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(क) उक्त परंतुक (i) के अनुसार निर्धारित टैरिफ तथा इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार निर्धारित टैरिफ के बीच अंतर को तीन समान मासिक किस्तों में संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज सहित वसूला या वापस किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड 8 के अधीन परंतुक (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा।

"(क) उक्त परंतुक (i) के अनुसार निर्धारित टैरिफ तथा इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार निर्धारित टैरिफ के बीच अंतर को तीन समान मासिक किस्तों में संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज सहित वसूला या वापस किया जाएगा।"

(3) मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन : (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड 6 में दूसरे वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"इस विनियम के खंड 2 (क)(i) से (iii) में यथादर्शित प्रचालनगत पैरामीटरों के कारण हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों से भिन्न उत्पादन केन्द्र के मामले में, निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार संगणित वित्तीय लाभों को उत्पादन केन्द्रों और हिताधिकारियों के बीच 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (6) अधीन दिए गए फार्मूले के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"पंरतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के मामले में, सामान्यात्मक सहायक ऊर्जा उपभोग से कम किए जा रहे वास्तविक सहायक ऊर्जा उपभोग के कारण कुल लाभ निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार संगणित किया जाएगा बशर्ते कि बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक हो और उत्पादन केन्द्र तथा हिताधिकारियों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगाः

(i) जब बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन सामान्यात्मक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक है और वास्तविक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से कम या बराबर हैः

कुल लाभ(मिलियन रुपए)=
(एमयू में बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन–एमयू में सामान्यात्मक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजायन ऊर्जा)X0.90

(ii) जब बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक है

कुल लाभ(मिलियन रुपए)=
(एमयू में बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन X (100–% में सामान्य एईसी)/(100–% में वास्तविक एईसी)X0.90

(4) **मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 9 के खंड 2 के उपखंड (ख) के अधीन एक नया उपखंड जोड़ा जाएगाः

"(ख1) निर्माण अवधि के दौरान लिए गए ऋण रकम से संबंधित विदेशी विनिमय जोखिम परिवर्तनीयता के कारण कोई लाभ या हानि पूंजी लागत का भाग होगी।"

(5) **मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (2) के उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक 'आईडीसी' शब्द के पश्चात् 'और आईईडीसी' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(6) **मूल विनियम में नए विनियम को जोड़ना :** मूल विनियम के विनियम 23 के पश्चात्, एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 23क अंतःस्थापित किया जाएगाः

"23क गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ निर्धारण : विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2015 टीएच1 तारीख 27.3.2015 द्वारा जारी किए गए 'गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए योजना' के अंतर्गत सम्मिलित किए गए गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ सुसंगत विनियमों के विचलन में उस योजना के उपबंधों पर सम्यक् विचार करने पर अवधारित किया जाएगा।"

(7) **मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 25 के खंड (1) में, अंतिम वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"अन्य कारबार स्ट्रीमों से आय पर वास्तविक कर, जिसमें आस्थगित कर दायित्व भी है,(अर्थात् यथास्थिति, उत्पादन या पारेषण से भिन्न कारबार पर

आय) पर प्रभावी कर दर की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

(8) मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (3) के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि आईटी उपकरण और साफ्टवेयर के लिए सालवेज मूल्य शून्य समझा जाएगा और आस्तियों का 100 प्रतिशत मूल्य अवक्षयण योग्य माना जाएगा।"

(9) मूल विनियम के विनियम 29 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 29 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन सारणी में, शब्द 'दुर्गापुर टीपीएस (यूनिट 1)' शब्दों के स्थान पर 'दुर्गापुर टीपीएस (यूनिट–3)' शब्द रखें जाएंगे।

(10) मूल विनियम के विनियम 49 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"49. 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताएं, जब कभी वे कार्यान्वित की जाती हैं, यथास्थिति, हिताधिकारियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों/डीआईसी से उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य होंगे। 1.4.2009 से 31.3.2014 और 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधियों के लिए आस्थगित कर देयताएं, यथास्थिति, हिताधिकारियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों/डीआईसी, से वसूल नहीं किए जाएंगे।"

(11) मूल विनियम के परिशिष्ट II में संशोधन : मूल विनियम के परिशिष्ट II (अवक्षयण सारणी) में, क्रम संख्या (ण) के अधीन निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः

(iii)	फाइबर ऑप्टिक	6.33%

हस्ता/–
(शुभा शर्मा)
सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 83, तारीख 12 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए थे।